

अत्य आवश्यक
महत्वपूर्ण

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांक: रापक/लेखा/बजट/2017/1128

दिनांक: 24/8/17


समस्त अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र, परिवार कल्याण।

विषय:- वर्ष 2017-18 के लिये राज्य निधि के विभिन्न बजट मदों में 03-यात्रा व्यय एवं 04-चिकित्सा व्यय में लम्बित दायित्वों की सूचना भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2017-18 के लिये विभिन्न बजट मदों के अन्तर्गत विस्तृत मद 03-यात्रा व्यय एवं 04- चिकित्सा व्यय में दिनांक 01.04.2017 का देय पुर्नभरण योग्य राशि के लम्बित रहे दायित्वों की सूचना दिनांक 24.04.2017 तक चाही जाकर दिनांक 01.05.2017 को संबंधित कार्यालयों को बजट आवंटन किया जा चुका है।

प्रमुख शासन सचिव महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों/कार्यालयों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों के दिनांक 23.08.2017 को विभिन्न बजट मदों के अन्तर्गत विस्तृत मद 03-यात्रा व्यय एवं 04- चिकित्सा व्यय में लम्बित रहे दायित्वों की नामवार, कार्यालयवार एवं लेखामदवार पृथक-पृथक सूचना दिनांक 25.08.2017 तक आवश्यक रूप से ईमेल आइडी- caofw23@yahoo.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

कृपया इसे प्रथमिकता प्रदान करावें।



वित्तीय सलाहकार (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: रापक/लेखा/बजट/2017/

दिनांक:

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी सर्वर, कृपया इस पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें तथा संबंधित की ईमेल आइडी पर भी ईमेल करावे।


वित्तीय सलाहकार (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।